उत्तराखण्ड ए0एन0एम0 / जी0एन0एम0 / बी0एस0सी0 नर्सिंग / एम0एस0सी0 नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग काउंसिलिंग–2017 की तृतीय चरण की ऑनलाईन प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

समस्त नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम एवं कालेज का आवंटन उत्तराखण्ड ए0एन0एम0 / जी0एन0एम0 / बी0एस0सी0 नर्सिंग / एम0एस0सी0 नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षाऐं–2017 के परीक्षा परिणाम की मेरिट के आधार पर पाठ्यक्रमवार आन–लाईन काउंसिलिंग के माध्यम से किया जाएगा। ए0एन0एम0 / जी0एन0एम0 / बी0एस0सी0 नर्सिंग / एम0एस0सी0 नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संबंधित अभ्यर्थी उसी पाठ्यक्रम हेतु आवेदन करेगा, जिस लिखित परीक्षा में वह सम्मिलित हुआ हो। नियम व शर्तें निम्नवत हैं:–

1. उत्तराखण्ड ए0एन0एम0 / जी0एन0एम0 / बी0एस0सी0 नर्सिंग / एम0एस0सी0 नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 प्रवेश परीक्षा–2017 की काउॅन्सिलिंग प्रक्रिया online माध्यम से सम्पन्न कराई जायेगी। काउॅन्सिलिंग की प्रक्रिया, तिथियॉ, समय एवं काउॅन्सिलिंग संबंधी अन्य जानकारियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in पर विभिन्न लिंकों के माध्यम से अपलोड़ की गई हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजा जाएगा।

2. उत्तराखण्ड ए0एन0एम0 / जी0एन0एम0 / बी0एस0सी0 नर्सिंग / एम0एस0सी0 नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 प्रवेश परीक्षा–2017 में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को शासन द्वारा इस हेतु गठित काउॅन्सिलिंग बोर्ड के द्वारा राज्य स्तरीय कॉउन्सिलिंग के माध्यम से संबंधित प्रवेश परीक्षा में उनकी मेरिट, उनके द्वारा दिये गये विकल्प (choice) एवं उस समय उपलब्ध सीटों के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।

3. मात्र उत्तराखण्ड ए0एन0एम0 / जी0एन0एम0 / बी0एस0सी0 नर्सिंग / एम0एस0सी0 नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा–2017 में उत्तीर्ण होने से ही अभ्यर्थी का नर्सिंग कॉलेजों की राज्य कोटें की सीटों पर प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। अभ्यर्थी का चयन एवं प्रवेश उत्तराखण्ड ए0एन0एम0 / जी0एन0एम0 / बी0एस0सी0 नर्सिंग / एम0एस0सी0 नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा–2017 की सूचना विवरणिकाओं में प्रकाशित अर्हताओं, आरक्षण के नियमों इत्यादि काउन्सिलिंग की तिथि तक अद्यतन प्राविधानों / शर्तों के अन्तर्गत होगा।

4. उत्तराखण्ड ए0एन0एम0 / जी0एन0एम0 / बी0एस0सी0 नर्सिंग / एम0एस0सी0 नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा–2017 में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन की कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित समय–सीमा में निम्न विवरणानुसार Online काउॅन्सिलिंग धनराशि Online माध्यमों यथा ;**ATM Card/Credit Card/Debit Card/Net Banking)** माध्यम से पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, जिन अभ्यर्थियो द्वारा प्रथम चरण की काउन्सिलिग में अपना पंजीकरण करवाया गया हो तथा वे द्वितीय / तृतीय चरण की काउन्सिलिग में प्रतिभाग करना चाहते है तो वे अपनी च्वाइस / विकल्प को दुबारा से लॉक करते हुये समस्त वाछित अभिलेखो को पुनः अपलोड करायेगे, साथ ही जिन अर्ह अभ्यर्थियो द्वारा प्रथम चरण की काउन्सिलिग में अपना पंजीकरण नही किया हो वे अपना नवीन पंजीकरण करते हुये अपने समस्त वाछित अभिलेखो को अपलोड करेगें।

   - ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम हेतु – रूपया 500 / –
   - जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम हेतु – रूपया 500 / –
   - बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु – रूपया 500 / –
   - एम0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु – रूपया 500 / –
   - पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु – रूपया 500 / –

पाठ्यक्रमवार पंजीकृत अभ्यर्थी ही कॉउन्सिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हेतु अर्ह माने जायेंगें। पंजीकरण शुल्क Non-Refundable होगा। अतः प्रत्येक अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण से पूर्व सूचना विवरणिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अपनी अर्हता को सुनिश्चित कर लें। एक बार जमा किया गया पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।

5. काउन्सिलिग बोर्ड के सम्यक विचारोपरान्त नवीन कॉलेजों को अनुमति मिलने के परिणाम स्वरुप जिन अभ्यर्थियो को द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में सीट आवंटन होने के उपरान्त किसी कारण वश संस्थान/कॉलेज में जो अर्ह अभ्यर्थी प्रवेश नही ले पाये, वे सभी अर्ह अभ्यर्थी तृतीय चरण काउन्सिलिग में अपनी समस्त वांछित अभिलेखों को अपलोड कर च्वाईस/विकल्प दुबारा से लॉक कर सकते है।

नोटः– यदि कोई इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी किसी भी नर्सिग पाठ्यक्रम की आनलाईन काउन्सिलिग में अपलोड किये गये मूल अभिलेखो की स्कैन पी0डी0एफ0 (PDF) कापी, च्वाईस फीलिग में कोई भी परिवर्तन चाहता है तो अभ्यर्थी को पंजीकरण की निर्धारित तिथियो के दौरान ही, संशोधन हेतु रुपया– 100/–(रुपया सौ) Online माध्यमों यथा ;ATM Card/Credit Card/Debit Card/Net Banking) माध्यम से संशोधन पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार का संशोधन (केवल च्वाईस फिलिग एवं अभिलेख अपलोड) करने हेतु, अभ्यर्थी को प्रत्येक बार रुपया 100/– देकर पंजीकरण की निर्धारित तिथियो के दौरान ही पूर्ण रुप से भरना होगा। प्रत्येक संशोधन के पश्चात पूर्व में किया गया आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार के संशोधन के लिये आवेदन ई–मेल/दूरभाष के माध्यम से स्वीकार नही किया जायेगा। **यहॉ स्पष्ट करना है कि किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा देते समय भरे गये विवरण में कोई भी परिवर्तन स्वीकार्य नही होगा।**

6. यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण की काउंसिलिंग में उपरोक्त बिन्दु में उल्लिखित विवरणानुसार शुल्क जमा कराकर अपना पंजीकरण करवा चुका हैं और वह द्वित्तीय काउंसिलिंग/विस्तारित काउन्सिलिंग में भी सम्मिलित होना चाहता है तो उसे इस हेतु अलग से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं जमा कराना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं करता है, परन्तु वह तृत्तीय काउंसिलिंग/विस्तारित काउन्सिलिंग चरणों में फीस देकर सम्मिलित हो सकता है, किन्तु संबंधित अभ्यर्थी को सीट आवंटन उपलब्ध सीटों एवं मेरिट के आधार पर होगा।

7. कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा एक बार सीट आवंटित होने के उपरान्त, आवंटित सीट को उस कॉउन्सिलिंग चरण विशेष में बदला नहीं जाएगा।

8. अभ्यर्थी को सभी संस्थानों में संस्थान बदलने की सुविधा प्रवेश की अन्तिम तिथि तक अनुमन्य होगी।

9. उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉउन्सिलिंग–2017 के माध्यम से कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किये गये आवंटन एवं सम्बन्धित संस्थान द्वारा दिये गये प्रवेश प्रथम दृश्टया अस्थाई होगें तथा उन्हें बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार कॉउन्सिलिंग बोर्ड/उत्तराखण्ड शासन के पास सुरक्षित होगा।

10. काउंसिलिंग सम्बन्धी समस्त सूचनाऐं समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.hnbumu.ac.in** में भी प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपने हित में विश्वविद्यालय की वेबसाईट का समय– समय पर अवलोकन करते रहें।

11. सीट आवंटन हेतु मुख्यतः दो चरणों (प्रथम एवं द्वित्तीय चरण) में ही काउॅन्सिलिंग करायी जाएगी। इसके उपरान्त भी सीटें रिक्त रहने की दशा में यथा आवश्यकता विस्तारित चरण की काउॅन्सिलिंग कराई जा सकती है। द्वित्तीय चरण में पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों की प्रतिक्षा सूची के आधार पर आई0एन0सी0 द्वारा निर्धारित समय–सारणी एवं दिशा–निर्देशों के अनुरूप काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सम्यक निर्णय लेकर प्रश्नगत कालेजों में प्रवेश हेतु अन्तिम तिथि से पूर्व यथासम्भव सीट आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

12. अभ्यर्थी कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हे काउन्सिलिंग के प्रत्येक चरण में उपलब्ध सीटों के आधार पर अपनी च्वाईस अनिवार्य रूप से दर्ज (Lock) करानी होगी।

13. अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि काउन्सिलिंग में चरणवार/कालेजवार उपलब्ध सीटों की संख्या एवं अन्य विवरण भली–भांति देखकर अपनी च्वाईस लॉक करायें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उस चरण की काउन्सिलिंग में एक से अधिक बार संशोधन किया जाता है, तो नियमानुसार ही पंजीकरण की निर्धारित तिथियो के दौरान, रुपया 100/– जमा करते हुये, जो अभ्यर्थी द्वारा अन्तिम संशोधित आनलाईन आवेदन किया गया हो, को ही अन्तिम आवेदन माना जायेगा।

14. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम अथवा द्वित्तीय चरण की काउॅन्सिलिंग में उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा–2017 में उनकी मेरिट के आधार पर कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किसी संस्थान में सीट आवंटित हुयी हो तथा वे आगामी काउॅन्सिलिंग/प्रतीक्षा सूची के आधार पर सीट आवटंन की कार्यवाही में सम्मिलित होकर उक्त आवंटित संस्थान को बदलना चाहते हो, तो उन्हें पूर्व आवटित संस्थान में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। परन्तु उक्त सीट आवंटन की कार्यवाही केवल अभ्यर्थी की उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा–2017 की मेरिट एवं उस समय उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही की जाएगी।

15. एक बार पूर्व आवंटित सीट को परिवर्तित कर यदि अभ्यर्थी को कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा दूसरे संस्थान की सीट आवंटित कर दी जाती है तो उसका पूर्व में आवंटित सीट पर अधिकार तत्काल समाप्त हो जाएगा तथा उस रिक्त सीट को कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा मेरिट के क्रम में अगले अर्ह इच्छुक अभ्यर्थी को आवंटन कर दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सीट परिवर्तन करने से पूर्व विचार कर लें।

16. अभ्यर्थी को कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा तृतीय चरण की काउॅन्सिलिंगे के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही में आवंटित हुई सीट पर प्रवेश हेतु निर्धारित समय के अन्दर सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश सम्बन्धित समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

17. अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन के उपरान्त समस्त वांछित मूल दस्तावेज/अभिलेख तथा ऑनलाईन माध्यम से डाउनलोड किये गये सीट आवंटन पत्र की प्रति सहित संबंधित कालेज के प्राचार्य के सम्मुख व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

18. निजी नर्सिग शिक्षण संस्थानो की सीटें द्वितीय चरण/ अन्तिम चरण काउन्सिलिग के उपरान्त रिक्त रहने/होने की दशा में इन्हे प्रतीक्षा सूची के आधार पर (मैरिटवार) सम्बन्धित निजी संस्थान के निजी स्तर से स्वय भरा जायेगा।

<u>उत्तराखण्ड ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा–2017 ऑनलाईन काउन्सिलिंग हेतु अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये जाने वाले अभिलेख</u>

मेरिट सूची में आए अभ्यर्थियों को ऑनलाईन माध्यम से निर्धारित समय–सीमान्तर्गत **ऑनलाईन काउन्सिलिंग रजिस्ट्रेषन प्रक्रिया** को पूर्ण करते हुए (कॉलेजवार च्वाईस सहित) निम्नलिखित मूल अभिलेखों की स्वः सत्यापित प्रति PDF format में अपलोड़ करनी होगी :–

1. हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अंक तालिका।
2. इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अंक तालिका।
3. **चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत आषा कार्यकत्रियों (जो इस लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुई) को इस बावत सक्षम प्राधिकारी (सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी) द्वारा वर्ष 2017 में निर्गत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति** (यदि लागू हो)।
4. मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल से अर्हता परीक्षा जी0एन0एम0 उत्तीर्ण होने की अंक तालिका **(मात्र पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग अभ्यर्थियों हेतु)**
5. बी0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग परीक्षा अथवा बी0एस0सी0 नर्सिंग/बी0एस0सी0 (ओनर्स) नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग परीक्षा उत्तीर्ण होने की अंकतालिका **(मात्र एम0एस0सी0 नर्सिंग अभ्यर्थियों हेतु)**
6. बी0एस0सी0 नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् 01 वर्ष का कार्य अनुभव **(मात्र एम0एस0सी0 नर्सिंग अभ्यर्थियों हेतु)**
7. श्रेणी प्रमाण–पत्र (यदि सामान्य श्रेणी के न हों)
8. उप–श्रेणी प्रमाण–पत्र (यदि आवश्यक हो तो)
9. उत्तराखण्ड के स्थाई/मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र। (यदि आवश्यक हो तो)
10. निर्धारित पंजीकरण शुल्क (Online के माध्यम से)
11. अन्य सम्बन्धित मूल (अभिलेख यदि कोई है तो)।
12. पूर्व नर्सिंग शैक्षिक अर्ह योग्यता (जी0एन0एम0, पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग) का नर्सिंग काउन्सिल के पंजीकरण पत्र (केवल पोस्ट बेसिक, एम0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रमो हेतु)

नोट :–

1. किसी प्रकार की Undertaking या Affidavit मान्य नहीं होगा।
2. **राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतिनुसार ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 03 वर्ष हेतु मान्य होगा। अर्थात् प्रमाण पत्र दिनांक 31.10.2017 तक अथवा काउंन्सिलिंग एवं संस्थान में प्रवेष की तिथि तक मान्य/वैद्य (valid) होना चाहिए।**

- **पाठ्यक्रमवार सीट मैट्रिक्स अनुलग्नक–1 से 5 में संलग्न है। सीटों की संख्या घट या बढ़ भी सकती हैं** तथा नर्सिंग काउन्सिल ऑफ इण्डिया की कालेज विशेष के बारे में अधुनान्त निर्देशों पर भी निर्भर करेगी।
- परीक्षाफल प्रकाशन से पूर्व अथवा बाद में जब भी आवश्यक हो राज्य के पास सीटों में (जिसमें आरक्षित श्रेणी की सीटें भी सम्मिलित हैं) कमी, बढोतरी अथवा उनके सम्बन्ध में अन्य कोई भी परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
- उक्त संस्थाओं मे प्रवेश का निर्णय काउंसिलिंग की तिथि तक भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन की अनुमति की स्थिति पर निर्भर करेगा।

प्रवेश उपरान्त जमा शुल्क वापसी के नियम

- यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम कॉउन्सिलिंग में उसे कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित संस्थान में निर्धारित समय के अन्दर प्रवेश लेने के उपरान्त सीट छोड़ना चाहता है। तो उसे द्वितीय कॉउन्सिलिंग से पूर्व सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य के माध्यम से इसकी सूचना कॉउन्सिलिंग बोर्ड को देनी होगी। इस दशा में ही उसे सम्बन्धित संस्थान में जमा किये गये शिक्षण शुल्क में से धनराशि रू0 1000/–

मात्र की कटौती के उपरान्त शेष जमा धनराशि संम्बन्धित संस्थान द्वारा वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सम्बन्धित संस्थान में उपभोग की गयी सेवाओं (छात्रावास, मैस आदि) के सापेक्ष वास्तविक शुल्क धनराशि की कटौती भी उसके द्वारा इस हेतु जमा शुल्क में से की जाएगी।

- यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम/द्वित्तीय चरण की कॉउन्सिलिंग अथवा प्रतिक्षा सूची के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही में उसे कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित संस्थान में निर्धारित समय के अन्दर प्रवेश लेने के उपरान्त नियमानुसार पाठ्यक्रम/संस्थान परिवर्तित कर पूर्व आवंटित संस्थान में सीट छोडकर निर्धारित तिथि के अन्दर दूसरे आवंटित संस्थान में प्रवेश ले लेता है। तो इस दशा में ही उसे पूर्व आवंटित संस्थान में जमा किये गये शिक्षण शुल्क में से धनराशि रू0 1000/— मात्र की कटौती के उपरान्त शेष जमा धनराशि संम्बन्धित संस्थान द्वारा वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सम्बन्धित संस्थान में उपभोग की गयी सेवाओं (छात्रावास, मैस आदि) के सापेक्ष वास्तविक शुल्क धनराशि की कटौती भी उसके द्वारा इस हेतु जमा शुल्क में से की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा सीट परिवर्तित करने के उपरान्त निर्धारित समय के अन्दर सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो उसके द्वारा जमा सम्पूर्ण शुल्क धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

- यदि कोई अभ्यर्थी द्वित्तीय कॉउन्सिलिंग अथवा प्रतीक्षा सूची के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही में उसे कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित संस्थान में निर्धारित समय के अन्दर प्रवेश लेने के उपरान्त सीट छोड़ता है। तो इस दशा में उसके द्वारा रिक्त की गयी सीट के विरूद्व किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा सीट भरे जाने की स्थिति में ही उसे सम्बन्धित संस्थान में जमा किये गये शिक्षण शुल्क में से धनराशि रू0 1000/— मात्र की कटौती के उपरान्त शेष जमा धनराशि संम्बन्धित संस्थान से वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सम्बन्धित संस्थान में उपभोग की गयी सेवाओं (छात्रावास, मैस आदि) के सापेक्ष वास्तविक शुल्क धनराशि की कटौती भी उसके द्वारा इस हेतु जमा शुल्क में से की जाएगी। अन्यथा की दशा में उसके द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण शुल्क धनराशि जब्त कर ली जाएगी।